राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1(138)वन/2025 जयपुर, दिनांकः–

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी–ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषयः– Diversion of 4.896 hac. for construction of road under PMGSY Salawadkhurd to Barodiya antari FP/RJ/ROAD/41556/2019.

संदर्भः– परिवेश 1.0 प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/41556/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/41556/2019 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के कारण सीधे ही वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित करने हेतु आपके पत्र क्रमांक 8बी/राज001/2025–जयपुर दिनांक 26.12.2025 से निर्देश प्राप्त हुये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि परिवेश 1.0 पोर्टल पर प्रस्ताव को सीधे ही भारत सरकार को भिजवाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। उक्त के संबंध में तकनीकि निदेशक, एन.आई.सी. को समसंख्यक पत्र दिनांक 6.01.2026(प्रति संलग्न) से अवगत कराया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

Document certified by BIJO JOY <Joybijo@gmail.com>.
Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special Secretary To Government
Date :11-05-2026 11:40:01

RajKaj Ref No.: 22107656

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेलः–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14(ROAD)2019 / एफसीए / प्रमुवसं. / 2930 दिनांक 21.11.25

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

कार्यालय वन विभाग मुख्यालय जयपुर 4525 दिनांक 27/11/2025

कार्या. विशिष्ट शासन सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर डायरी क्रमांक 5172 दिनांक 25/11/25

विषयः–Diversion of 4.896 ha. For Construction of road under PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/41556/2019)

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्र कमांक 8बी / राज001 / 2025–JPR दिनांक 17.09.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने हेतु लिखा गया है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

26/11/25

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar

B-215 & बी-216 "अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर /302004-B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN" ,Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दरभाष 0141-2713858, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक:17th सितम्बर, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक **FP/RJ/ROAD/41556/2019)**

विषयः राजस्थान के कोटा जिले में सलावदखुर्द से बड़ोदिया अंतारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 4.896 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान के पक्ष में डायवर्जन - के संबंध में। (Diversion of 4.896 ha of Protected Forest Land for construction of road from Salawadkhurd to Barodiya Antari under PMGSY in Kota District of Rajasthan in favour of Public Works Department, Kota, Rajasthan- regarding).

संदर्भः राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(138)वन/2025 दिनांक 05.08.2025.

महोदय,

I am directed to refer to the above cited proposal submitted by the State Government and inform that the proposal has been scrutinized and noticed in the Site Inspection Report of the DCF that the violation has been done by the User Agency in the year 2007 in an extent of 2.4 ha. As per the Rule 10(2)(v) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, proposals involving violation or requiring post-facto approval are to be submitted directly to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi, for consideration and approval at the appropriate level.

In view of the above, It is requested to submit the proposal directly to the Ministry in accordance with the applicable rules.

This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/Sincerely,

Digitally signed by
Balaji Kari
Date: 17-09-2025
17:16:42

(बालाजी करी/Balaji Kari)
सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General of Forests
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन सरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।